

**MP STATE MINOR FOREST PRODUCE
(T & D) Co-operative Federation Ltd.**

Block-A, First Floor, Van Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal

Email: md.mfpfed@mp.gov.in, mpmfpit@gmail.com

Website: www.mfpfederation.org

No. MFP/Fed/2026/--8779

Bhopal, Date: 09/10/2026

Advertisement for Recruitment

Applications are invited from IIFM post graduate for the one post of Marketing Coordinator in the proposed MFP-CELL at the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Cooperative Federation Limited, Bhopal for Post of the following on purely temporary basis for a period one year:-

S. No.	Post	No. of Post	Essential Qualification	Monthly Remuneration in Rs.
1.	Marketing Coordinator	01	Post Graduate Diploma in Forestry Management from IIFM	40,000/-

The application form and terms and conditions can be downloaded from our website, www.mfpfederation.org. Applications must be submitted to the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Cooperative Federation Limited, A-Block, First Floor, Van Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal-462003. The last date for submission of applications is 28/10/2026.

Managing Director

**M.P. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) COOPERATIVE
FEDERATION LIMITED**

Van Bhawan, A-Block, First Floor, Tulsi Nagar, Bhopal-462003
PHONE: (0755) 2674202, 2674349, Website: www.mfpfederation.org
Email: md.mfpfed@mp.gov.in, mpmfpit@gmail.com

APPLICATION FORM

**"Engagement for the Post of Marketing Coordinator in M.P. State Minor Forest
Produce (T& D) Co-operative Federation Limited, Bhopal"**
(To be filled in BLOCK LETTERS)

Affix recent
Passport Photo

1. Detailed Information

1	Post Applied For	
2	Name of Applicant	
3	Father's/Husband's Name	
4	Date of Birth	
5	Gender	
6	Category (SC/ST/OBC/General)	
7	Aadhaar Number	
8	PAN Number	
9	Mobile Number	
10	Email ID	
11	Correspondence Address	
12	Permanent Address	

2. Educational Qualifications

Examination	Board/University	Main Subjects	Year of Passing	Division/Grade
High School				
Higher Secondary				
Graduation				
Post-Graduation				
Other Qualifications				

3. Professional Experience

Organization/Office	Designation	Period (From-To)	Nature of Work

4. Experience in Forestry, NTFP/MFP, Joint Forest Management, Research, Training, or Other Relevant Areas

5. Health Status

I hereby declare that I am physically and mentally fit to perform the duties assigned under the proposed engagement.

Signature: _____

6. Details of Documents Attached

☐ Aadhaar Card

☐ PAN Card

☐ Educational Qualification Certificates

☐ Medical Fitness Certificate

☐ Any Other Document (Specify) _____

Declaration

I hereby declare that all the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that if any information furnished by me is found to be false or incorrect, my candidature/engagement is liable to be cancelled at any stage.

Place: _____

Date: _____

Signature of Applicant

Name: _____

For Office Use Only

Application Received on: _____

Documents Verified: Yes / No

Eligibility Status: Eligible / Not Eligible

Remarks:

Signature of Scrutiny Officer: _____

Name & Designation: _____

Date: _____

MFP-CELL में पूर्णकालिक विपणन समन्वयक (Marketing Coordinator)
(IIFM) हेतु सेवा शर्तें

---00---

1. संपादित किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- 1.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का क्रियान्वयन।
- 1.2. MFP-CELL में पूर्णकालिक टीम और पेशेवरके रूप में कार्य करना।
- 1.3. प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियां, प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्रों एवं पीवीटीजी वनधन केंद्रों के उत्पादों विपणन, बिक्री गतिविधियों और उत्पादों के वितरण का प्रबंधन करना।
- 1.4. वन उपहार ऐप के माध्यम से मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध कराना।
- 1.5. उत्पादों के विपणन चैनल्स का विकास करना।
- 1.6. मैदानी स्तर पर प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन।
- 1.7. मैदानी स्तर पर उत्पादों और उनके लाभों के बारे में जानकारी तैयार करना।
- 1.8. उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विपणन के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री का विकास करना।
- 1.9. विभिन्न डिजिटल एवं ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन का विकास एवं प्रबंधन करना।
- 1.10. अन्य संबंधित कार्य।
- 1.11. समस्त संबंधित अन्य विभागों के साथ आवश्यकता अनुसार समन्वय स्थापित करना।
- 1.12. कोई अन्य कार्य जो नियंत्रक अधिकारी जिसके अधीन सेवाएँ सौंपी गई हैं द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

2. मानदेय :-

- 2.1 मानदेय अवधि के दौरान मासिक मानदेय राशि रु. 40,000/- (शब्दों में चालीस हजार मात्र. रुपये) होगा। कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत आगामी वर्ष के लिए अवधि वृद्धि की जा सकेगी।
- 2.2 मानदेय का भुगतान विहित मासिक/त्रैमासिक/ वार्षिक एवं अन्य निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत ही किया जावेगा।

3. आयु सीमा: अधिकतम 40 वर्ष (समस्त प्रकार की छूट शामिल करते हुए)

4. कार्य मुख्यालय: मुख्यालय लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र (एमएफपी-पार्क) बरखेड़ा पठानी भोपाल होगा। सामान्यतः एक ईकाई से दूसरी ईकाई में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

5. नियंत्रणकर्ता अधिकारी: सहायक वन संरक्षक, एमएफपी-पार्क

6. प्रशासनिक अधिकारी: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमएफपी-पार्क

7. सेवा अवधि:-

7.1 सेवा की अवधि की गणना उपस्थिति दिनांक से की जायेगी। अवधि समाप्ति के लिये पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं जारी किया जावेगा एवं नवीनीकरण न होने की दिशा में स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

7.2 एक वर्ष समाप्त होने पर मूल्यांकन के उपरान्त उत्कृष्ट/ संतोषजनक कार्य पाये जाने पर, सक्षम स्वीकृति उपरान्त कार्य अवधि में वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा, परन्तु उक्त के संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ का होगा जोकि विपणन समन्वयक पर बंधनकारी होगा।

8. किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह की सूचना या एक माह के मानदेय बराबर राशि का भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

9. यदि विपणन समन्वयक द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस दिये बगैर अपने पद से त्यागपत्र दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें पारिश्रमिक/मानदेय के एक माह के समतुल्य राशि को कार्यालय के खाते में जमा कराना होगा।

10. किसी कदाचार या किसी अपराधिक कार्यकलाप में लिस होने की दशा में प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये विपणन समन्वयक की सेवा समाप्त कर दें। कार्य असंतोषजनक पाये जाने एवं अनुशासनहीनता की दशा में भी प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

11. भत्ते :-

11.1 विपणन समन्वयक को लघु वनोपज संघ के तृतीय श्रेणी के समकक्ष लागू यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

11.2 विपणन समन्वयक महंगाई भत्ते, गृहभाडा भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा।

11.3 विपणन समन्वयक पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे तथा किसी भी बोनस आदि के हकदार नहीं होंगे।

12. अवकाश:-

12.1 अवकाश की पात्रता - विपणन समन्वयक को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस की एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक बार में 3 दिवस से अधिक समय के लिए अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

12.2 उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ जिस नियंत्रक अधिकारी को सेवाएं सौंपी गई हैं के पास होगी।

12.3 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

13. अन्य :-

1. कार्य अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध होगा। उल्लंघन की दशा में सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकता है।
2. आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेज यदि असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाते हैं, तो सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
3. यदि विपणन समन्वयक बिना पूर्व अनुमति अथवा बगैर किसी ठोस कारण के अपने कर्तव्य से 15 दिवस से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवा ऐसी अनुपस्थित की तिथि से समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।
4. विपणन समन्वयक को अंतिम कार्य माह का मानदेय भुगतान तभी किया जावेगा, जब विपणन समन्वयक संपूर्ण शासकीय रिकार्ड, डेटा, एवं अन्य सामग्री विधिवत रूप से हस्तांतरण करेगा। अनुभव प्रमाण पत्र भी समस्त (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा।
5. विपणन समन्वयक को स्थायीकरण/नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थायीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा विपणन समन्वयक के संबंध में समय समय पर जारी आदेश/संशोधन लागू होंगे एवं विपणन समन्वयक पर बंधनकारी होंगे।
7. कार्य करने की अवधि के दौरान जो भी जानकारी/प्रतिवेदन/आकड़ें आदि तैयार किये जाएंगे वे म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के स्वामित्व के होंगे एवं बिना लिखित अनुमति के किसी को भी अंतरित अथवा प्रदर्शित नहीं किये जावेंगे।
8. विपणन समन्वयक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनुबंध आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. विपणन समन्वयक का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में बिना कोई कारण बताए सेवाएं निरस्त की जा सकेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का विपणन समन्वयक का पक्ष सुनने के बाद निर्णय ले सकेंगे। प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

उपरोक्त सेवा शर्तों को स्वीकार एवं मान्य करते हुए सहमति स्वरूप विपणन समन्वयक द्वारा हस्ताक्षर किये गए

विपणन समन्वयक के हस्ताक्षर

विपणन समन्वयक का नाम

(.....)

पता:

दिनांक: